राजस्व अपील संख्या 449/2022

अनवान
श्रीमती गुडडी वगैराह बनाम राज्य

दिनांक 26–8–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा पारित आदेश कमाक राजस्व/2022/1928 दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित आदेश कमाक राजस्व/2022/1928 दिनांक 20.06.2022 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच कर, मौका रिपोर्ट तैयार कर उक्त प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त,
जोधपुर